जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

प्रथम तल, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : :www.brlp.in

पत्रांक :BRLPS/Proj-NF/1855/21/656 दिनांक : 10.05.2023

प्रेषक,

राहुल कुमार, भा०प्र०से०
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जीविका।

सेवा में,

निदेशक,
खाद्य प्रसंस्करण , उद्योग विभाग, बिहार।

विषय : **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उधम उन्नयन योजना (PMFME) अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल की राशि हस्तांतरण करने के संबंध में।**

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत चिन्हित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को छोटे उपकरणों के क्रय का कार्यशील पूंजी के रूप में अधिकतम 40 हजार रुपये तक के सहयोग करने का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के संदर्भ में निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में सीड कैपिटल का भुगतान मात्र उन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को किया जाएगा, जिनका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (nrlm.gov.in) द्वारा सूचीबद्ध खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में शामिल हो तथा उनका प्रस्ताव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समर्पित एवं अनुमोदित हो।

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पोर्टल पर मैपिंग प्रक्रिया बाधित रहने के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। अतएव खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए चयनित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल की राशि हस्तांतरित करने में कठिनाई हो रही है।

उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में अनुरोध है कि उचित दिशा निर्देश दिया जाए ताकि समूह के सदस्यों को ससमय सीड कैपिटल उपलब्ध कराया जा सके।

विश्वासभाजन

(राहुल कुमार)

प्रतिलिपि प्रेषित :

OSD/SPM-NF को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
सम्बंधित संचिका।

09/5/23

(राहुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका